



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272795
CG-DL-E-22052026-272795

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2514]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2514]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISHTHA 1, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

का.आ. 2606(अ).—केन्द्रीय सरकार, (सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य संपदा अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम।	सरकारी स्थानों और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
कर्नल आशीष द्विवेदी, मुख्य अभियंता।	उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसर

[फा. सं. के-14011/11/2025-एमआरटीएस-IV]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2026

S.O. 2606(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted officer of the Government of India, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act within the local limits of the jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer.	Public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Colonel Ashish Dwivedi, Chief Engineer.	Premises of the Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited within the State of Uttar Pradesh.

[F. No. K-14011/11/2025-MRTS-IV]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (Urban Transport)